न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारीः नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस

राजस्व अपील संख्याः- 54/2017

अपीलाण्ट

जवानमल पुत्र जीवाजी जाति घांची निवासी बांकली, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स

1. श्रीमती सरोज कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह जाति राजपुरोहित निवासी चामुण्डेरी मेड़तीयान, तहसील बाली, जिला पाली
2. श्रीमती सुनीता पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी फालना स्टेशन, तहसील बाली, जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः-

श्री लक्ष्मण कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांकः- 26.12.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2012 बउनवान जवानमल बनाम सरोज कंवर में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने मौजा चामुण्डरी मेड़तियान तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 1.73 हैक्टर किस्म बारानी कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड अनुसार स्थित सयुंक्त 1/2 हिस्सा के संबंध में अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 15.06.2016 अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो कर उसकी पालना हेतु आदेश कर मुल पत्रावली को फैसल कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं करने पर अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अलग से इजराय प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2016 अनुसार मूल वाद संख्या 99/2012 के आदेश दिनांक 15.06.2016 के अनुसार पालना रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट को आदेशिका अनुसार दिनांक 19.06.2017 को रेकर्ड पर लिया गया जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.09.2016 को तैयार की गई है और उसको तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 16.12.2016 को पत्र क्रंमाक/राजस्व/2016/2555 के द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रेषित की जाती है। प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट धणी में सुनवाई हेतु रखे जाने की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। इस तरह अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता की गेर मौजदूगी में उनकी उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली को कैम्प टारगेट बनाते हुए एक पक्षीय कार्यवाही कर रेस्पोडेण्ट को फायदा पहुंचाने की नियत से फैसल कर दी है। अतः अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए पुनः सुनवाई के अवसर प्रदान करते हए निस्तारण करने का आदेश फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकार अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। इनकी लापरवाही का खामियाजा अन्य पक्षकार क्यों भुगतेंगे। अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है, जबकि उक्त पालना रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा पालना रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे जैर अपील आदेश को बदला जावे। अन्तिम डिक्री की पालना में नामान्तरकरण भी दायर किया जा चुका है। सभी पक्षकारों को राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अब अपील स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः अपील खारिज करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्तुत कर विभाजन योग्य भूमि मौजा चामुण्डरी मेड़तियान तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 258 रकबा 1.73 हैक्टर विधिवत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 15.06.2016 को वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई । इसके पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2016/2555 दिनांक 16.12.2016 के प्रकरण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि "आदेश की अनुपालना में माफिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 15.06.2016 के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक खुडाला से ली गई। भू. अ. निरीक्षक खुडाला से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के प्रस्ताव तैयार कर पत्र के संलग्न कर विभाजन के प्रस्ताव श्रीमान् के सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।" इस पत्र के संलग्न जो प्रस्ताव भिजवाया गया है, उसमें पटवारी हल्का व भू. अ. निरीक्षक द्वारा तहसीलदार बाली को सम्बोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न तो मौका फर्द रिपोर्ट है तथा न ही तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने बाबत कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 को प्रभावशील बनाने हेतु बनाए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 को भी हम यहाँ उद्धृत करना उचित समझते हैं–

Division of Holding by agreement

18 . Filling of agreement for Division of Holding-The agreement between the co-tenants in respect of the division of holding and distribution of rent over the several portions into which the holding is so divided under clause(1) of sub-section(2) of section 53 of the Act, an agreement by co-tenats shall be filed in the court of Tehsildar, having jurisdiction and the Tehsildar shall pass an order as per terms of the agreement and effect the division of holding accordingly.

19. Division of Holding in a suit decreed on the basis of agreement-

" If during pendency of a suit for division of holding the co-tenants in the suit come to an agreement the suit shall be decreed as per terms of agreement"

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Division of Holding by decree or order of competent court in a suit

20. Division of Holding by decree –Save as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent Court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding and distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided, the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible .

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by agreement or by order of court .

21.Preparation of map and demarcation of sub-divided fields:- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any fields has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of parties.

उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर नक्शे में विभिन्न रंगों के माध्यम से प्रत्येक पक्षकार के प्लाट(भूमि) को दर्शित करेगा। लेकिन हस्तगत प्रकरण में पटवारी व भू. अ. निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है जिस पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है। अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना मे बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर उसके अनुसार अंतिम डिक्री पारित किया जाना अनिवार्य है, जो विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष के आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस संबंध में एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2012 द्वारा बउनवान जवानमल बनाम सरोज कंवर में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली